प्रेस नोट दिनांक 11.05.2019

थाना मंडी पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाईकिलों की फर्जी तरीके से आरसी0 व बीमा तैयार कर मोटरसाईकिलों को बेचने वाले गिरोह को फर्जी आरसी0 व बीमा तैयार व फर्जी मौहरें तैयार करने के उपकरणों व दो चोरी की गयी मो0सा0 सहित 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व मे थाना मंडी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मण्डी तिराहे पर चोरी की मोटरसाईकिल की फर्जी तरीके से आरसी0 व बीमा तैयार कर मोटरसाईकिलों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफास करते हुए मण्डी समिति तिराहे से 3 शातिर अभियुक्तगण (1) सुभम रस्तोगी पुत्र अजय रस्तोगी निवासी स्टेट बैंक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर (2) फैसल पुत्र शाहिद हसन निवासी सराय शाहजी थाना मण्डी सहारनपुर (3) आसिफ पुत्र तहसीन निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभियुक्त सुभम उपरोक्त ने RTO कम्पाऊन्ड में दुकान नं0 33 में आफिस बना रखा था, जिसमें उपरोक्त अभियुक्तगण मिलकर चोरी की मोटरसाईकिलों की फर्जी तरीके से आरसी0 व बीमा तैयार कर मोटरसाईकिलों को बेचने वाले गिरोह को फर्जी आरसी0 व बीमा तैयार व फर्जी मौहरें तैयार करते थे। जिस सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 334/19 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम व पतेः-

1. सुभम रस्तोगी पुत्र अजय रस्तोगी निवासी स्टेट बैंक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. फैसल पुत्र शाहिद हसन निवासी सराय शाहजी थाना मण्डी सहारनपुर
3. आसिफ पुत्र तहसीन निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. एक मोटरसाईकिल सीडी0 डिलक्स रंग लाल (चोरी की) व एक मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्लस, सिल्वर कलर (चोरी की)
2. RTO कार्यालय से सम्बन्धित 8 मौहरें फर्जी
3. 4. 8 आरसी0 फर्जी, एक इन्श्योरेंस, एक कागज का रिम खुला हुआ जिस पर आरसी0 प्रिंट की जाती थी।
4. फर्जी आरसी0 व बीमा बनाने वाले उपकरण (एक मानीटर, एक सीपीयू0, की0 बोर्ड, माऊस, एक स्कैनर, एक प्रिंटर
5. एक ईंक पैड,

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगणो शुभम रस्तोगी, फैसल, आसिफ उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम तीनों निलकर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मोटर साईकिल चोरी कर उनकी फर्जी आरसी0 व बीमा बनाकर उन मोटरसाईकिलों को अच्छी कीमत पर बेचकर अवैध धन अर्जित करते थे। आज भी हम तीनों उपरोक्त दोनो चोरी की मोटरसाईकिलो को ठिकानें लगाने जा रहे थे जिसमे हम सफल नही हो पाये और आपने हमें पकड लिया। अभियुक्त शुभम उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं पूर्व में भी थाना सदर बाजार सहारनपुर से मोटरसाईकिल चोरी करने व गैगस्टर एक्ट के मुकदमों में कई बार जेल जा चुका हूँ उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो मो0सा0 चोरी कर उनके फर्जी कागजात तैयार कर उनहे बेचकर अवैध धन अर्जित करते है। अभियुक्त शुभम रस्तोगी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नलिखित है व अन्य दो अभियुक्तगणो के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास सुभम रस्तोगीः (1) 267/14 धारा 379/411 भादवि0 (2) मु0अ0सं0 290/14 धारा 379/411 भादवि0 (3) मु0अ0सं0 296/19 धारा 379/411 भादवि0 (4) मु0अ0सं0 298/19 धारा 379/411 भादवि0 (5) मु0अ0सं0 416 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (थाना सदर बाजार सहारनपुर)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रेमवीर सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रघूराज सिंह थाना मंडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 राम सनेही थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. एचसी 498 नीरज त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. एचसी 508 दिलशाद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 1143 रोबिन ढाका